संख्या– 354 /38–7–2007–247एनआरईजीए/07

प्रेषक,

रोहित नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांकः08 जनवरी, 2008

विषयः–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गो पर कार्य के चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम की धारा–1, परिशिष्ट–1 में एनआरईजीए के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो की सूची में ग्रामीण सम्पर्क मार्ग का भी उल्लेख है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत गांवो को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक वृहत कार्यक्रम है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मार्गो के चयन के समय कार्यो की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उक्त दोनों योजनाओं में समन्वय स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जिन मार्गो पर कार्य कराये जा सकते है, उन मार्गो पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत कार्य न कराया जाय।

इस सम्बन्ध में कृपया समस्त सम्बन्धित को सूचित करते हुए उपरोक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय,

(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/38–7–2007 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।